बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्पः–

स0सं0:–3/अ0प्र0–1–76/2020 8264 /पटना, दिनांक– 30.7.25

श्री अशोक कुमार गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर अंतर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा मे अग्रधन के रूप में प्रयुक्त फर्जी बैंक गारंटी संख्या–2018/115, 2018/108 एवं 2018/ 104 का State SBD की कंडिका 16.1.d मे निहित प्रावधान के अनुरूप सत्यापन किए बगैर एकरारनामा किए जाने के मामले में आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक 877 अनु0 दिनांक 29.04.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली– 43(B) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता – 02, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक– 1844 अनु0 दिनांक 23.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य समर्पित किया गया, जिसमें श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का समेकित निष्कर्ष प्राप्त हुआ।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोंपरान्त इससे सहमत होने हुये श्री गुप्ता से विभागीय पत्रांक 1776 अनु0 दिनांक 03.06.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये द्वितीय बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4. द्वितीय बचाव बयान हेतु विभागीय पत्रांक 1964 अनु0 दिनांक 01.07.2024 द्वारा स्मारोपरांत श्री गुप्ता के पत्रांक 03 अनु० दिनांक 09.07.2024 द्वारा बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव बयान को संलग्न करते हुये मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है कि कार्य प्रमंडल, वीरपुर अंतर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा मे अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या – 2018/115, 2018 / 108 एवं 2018 / 104 का मामला संज्ञान मे आने के फलस्वरूप जाँचोपरांत पाया गया की निविदा में प्रयुक्त की गई बैंक गारंटी फर्जी है, जिस कारण संवेदक के विरूद्ध वीरपुर थाना कांड सं0– 267/2019 दर्ज कराया गया एवं संवेदक को काली सूची में नाम दर्ज करने हेतु अनुशंसा भी की गयी।

5. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान/लिखित अभ्यावेदन मे वर्णित तथ्यों एवं मामले में रक्षित कागजातों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा एकरारनामा के पूर्व बैंक गारंटी की जाँच विधिवत रूप से नहीं की गयी और फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर एकरारनामा को निष्पादित किया गया। स्पष्ट है कि श्री गुप्ता द्वारा एकरारनामा के निष्पादन मे लापरवाही की गयी है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मामले के समीक्षोपरांत श्री अशोक कुमार गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय बचाव बचान/लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुये इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में बिहार पेंशन

नियमावली– 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत इनके पेंशन से पाँच(05) प्रतिशत की कटौती दो वर्षो तक करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

7. तदालोक में विभागीय पत्रांक 1121 अनु0 दिनांक 29.01.2025 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से उक्त दंड प्रस्ताव पर परामर्श/सहमति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3701 अनु0 दिनांक 15.05.2025 द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

अतः उक्त के आलोक में श्री अशोक कुमार गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली– 43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से पाँच (05) प्रतिशत की कटौती दो (02) वर्षों तक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 8264 /पटना/दिनांक :– 30.7.25

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 8264 /पटना/दिनांक :– 30.7.25

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–3701, दिनांक–15.05.2025 के आलोक में सूचानार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–76/2020 8264 /पटना/दिनांक :– 30.7.25

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर,

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विषेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अँचल, मधेपुरा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अशोक कुमार गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वीरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत। पत्राचार का पताः– अशोक कुमार गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया। सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता–फ्लैट संख्या–सी0–2, पेज अपार्टमेन्ट, रोड नं0–1, गर्दनीबाग, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव